चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0 / 5015
दिनांक : 07.02.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय : **कोविड–19 की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र, सख्या–311 / सत्तर–3–2022–08(20) / 2020 दिनांक 08 फरवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत प्रदेश स्थिति उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय को दिनांक 07.02.2022 से भौतिक रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त संलग्न पत्र के आलोक में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान / परिसर कोरोना गाइडलाइन यथा–मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिग, सेनेटाईजेशन एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रक्रिया) का कडाई से अनुपालन कराते हुये दिनांक 07.02.2022 से भौतिक रूप से खुले रहेंगे।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,
07-02-2022
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के सूचनार्थ।
02. प्रति–कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
03. छात्र कल्याण अधिष्ठाता / कुलानुशासक / चीफ वार्डन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
04. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
05. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
06. समस्त उप–कुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
07. विश्वविद्यालय, प्रैसप्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
08. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।

कुलसचिव

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या– 311 /सत्तर–3–2022–08(20)/2020

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
   प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
   उ0प्र0 शासन।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 06 फरवरी, 2022**

विषयः– कोविड–19 की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के संलग्न पत्र संख्या–202/2022–सीएक्स–3 दिनांक 05 फरवरी, 2022(छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–254/सत्तर–3–2022–08(20)/2020, दिनांक 30.01.2022 के माध्यम से कोविड–19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 06.02.2022 तक बन्द रखने, पठन–पाठन का कार्य ऑनलाइन संचालित किये जाने एवं पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षायें यथावत् संचालित किये जाने तथा प्रयोगात्मक/प्रैक्टिकल हेतु छात्रों को संस्थान में आने की अनुमति के निर्देश निर्गत किये गये है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान कोरोना गाइडलाइन यथा–मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेन्सिंग, सेनेटाइजेशन एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत एस0ओ0पी0(मानक संचालन प्रकिया) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 07.02.2022 से भौतिक रूप से खुले रहेगें।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या– 311 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
3– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5– कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 202/2022–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक: 5 फरवरी, 2022

विषय:–कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के संबंध में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–100/2022–सीएक्स–3, दिनांक 16.01.2022, आदेश संख्या–132/2022–सीएक्स–3, दिनांक 22.01.2022 तथा आदेश संख्या–164/2022– सीएक्स–3, दिनांक 28.01.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 06.02.2022 तक पूर्णतया बन्द रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आन लाइन कक्षायें जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत अब इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों को सशोधित कर कक्षा–9 से उच्चतर यथा– कक्षा–9, 10, 11 व 12 व समस्त डिग्री कालेज कोरोना गाइडलाइन्स यथा–मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अब दिनांक 07.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगे।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 202 (1)/2022–सीएक्स–3 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।